

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तोदय संबल पखवाडा कैम्प 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- कल्पित शिवरान आर.ए.एस

क्रमांक :- दुरुरती / 2025 / 847


आदेश

दिनांक :- 4/7/25

प्राणी के खाता दुरुरती प्रार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा प्राणी बादो पुत्री सूरजाराम निवासी भोगराना के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

नोट:- यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि धामनीदेवी पुत्री सूरजाराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम धामनीदेवी पुत्री सूरजाराम ही लागू होगा।


ग्राम/चक/ मटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान (अशुद्ध प्रविष्टि)	प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
2	3	4	5	
कलाना	571/630	धामनीदेवी पुत्री सूरजाराम		बादो उर्फ धामनीदेवी पुत्री सूरजाराम


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
दिनांक :- 4/7/25

क्रमांक:- सम/2025/ 848-849

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ,विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. धामनीदेवी उर्फ बादो पुत्री सूरजाराम को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

